संख्या-272/2026/146के-2/22-3-2026-17(167)/26

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर, 2026

विषय:- जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मंगल सिंह पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह, निवासी जनपद-हाथरस की फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4400/प्रो0अनु0(7)/14/2025(बैठक दिनांक 19-01-2026), दिनांक 16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मंगल सिंह (बंदी संख्या-351/2023) पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह, जो मौहल्ला छपैटी, कस्बा व थाना-मुरसान, जनपद-हाथरस का रहने वाला है। दिनांक 26-11-2019 को अभियुक्त द्वारा अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहेज में दो लाख रूपये व गहनों की मांग पूरी न होने पर पत्नी श्रीमती बबीता की हत्या करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-106/2020 में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, हाथरस के आदेश दिनांक 27-07-2023 द्वारा भा0द0वि0 की धारा-498ए/34, 304बी/34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 30-09-2025 के अनुसार बन्दी की आयु 29 वर्ष है तथा बंदी द्वारा 05 वर्ष, 08 माह, 22 दिन की अपरिहार व 06 वर्ष, 03 माह, 17 दिन सपरिहार की सजा भोगी गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने की संभावना होने, बंदी की उम्र एवं शारीरिक रूप से अपराध करने में सशक्त प्रतीत होने, दोनों पक्षों में आपस में तनाव होने, किसी अप्रिय घटना होने से इंकार नहीं किये जाने के दृष्टिगत बंदी को जेल में रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सके। इस प्रकार बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता/जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मंगल सिंह पुत्र श्री इन्द्रपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मंगल सिंह (बंदी संख्या-351/2023) पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह, निवासी जनपद-हाथरस के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-146(1)के-2/22-3-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।
2- पुलिस अधीक्षक, हाथरस।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-272/2026/146के-2/22-3-2026-17(167)/26

दिनांक 14 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्‌ध सिद्‌धदोष बंदी मंगल सिंह (बंदी संख्या-351/2023) पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह, जो मौहल्ला छपैटी, कस्बा व थाना-मुरसान, जनपद-हाथरस का रहने वाला है। दिनांक 26-11-2019 को अभियुक्त द्‌वारा अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहेज में दो लाख रूपये व गहनों की मांग पूरी न होने पर पत्नी श्रीमती बबीता की हत्या करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-106/2020 में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, हाथरस के आदेश दिनांक 27-07-2023 द्‌वारा भा0द0वि0 की धारा-498ए/34, 304बी/34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 30-09-2025 के अनुसार बन्दी की आयु 29 वर्ष है तथा बंदी द्‌वारा 05 वर्ष, 08 माह, 22 दिन की अपरिहार व 06 वर्ष, 03 माह, 17 दिन सपरिहार की सजा भोगी गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस द्‌वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्‌वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्‌वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी द्‌वारा भविष्य में अपराध कारित करने की संभावना होने, बंदी की उम्र एवं शारीरिक रूप से अपराध करने में सशक्त प्रतीत होने, दोनों पक्षों में आपस में तनाव होने, किसी अप्रिय घटना होने से इंकार नहीं किये जाने के दृष्टिगत बंदी को जेल में रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्‌वारा दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्‌वारा सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्‌वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्‌वारा कारित अपराध की गंभीरता/जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्‌धदोष बंदी मंगल सिंह पुत्र श्री इन्द्रपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्‌वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।